



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39287

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 15536/2025

सुनील कुमार मिश्रा और 10 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: आशीष कुमार मिश्रा, संजय कुमार द्विवेदी

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: फुजैल अहमद अंसारी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, एम. न. सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष कुमार मिश्रा, राज्य के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव और आयोग के विद्वान अधिवक्ता श्री फुजैल अहमद अंसारी की दलीलें सुनी गईं।
2. चूंकि पक्षों के बीच लिखित दलीलों का आदान-प्रदान हो चुका है और विरोधी पक्षों के विद्वान अधिवक्ता कोई और हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं, इसलिए पक्षों की सहमति से इस रिट याचिका का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ताओं का मामला यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, तीसरे प्रतिवादी के सचिव ने वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) की नियुक्ति के लिए 14.06.2023 को विज्ञापन संख्या डी-3/ई-1/2023 प्रकाशित किया। इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञानी, कंप्यूटर फॉरेंसिक और व्यवहार विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के लिए वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 41 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 14.07.2023 थी और भौतिक विज्ञान प्रति जमा करने की अंतिम तिथि 28.07.2023 थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 14.06.2023 के विज्ञापन में वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) जीव विज्ञान सेक्शन/डोमेन के लिए 22 पद, वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन/डोमेन के लिए 9 पद, वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) भौतिक विज्ञान सेक्शन/डोमेन के लिए 6 पद, वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) रसायन विज्ञान सेक्शन/डोमेन के लिए 3 पद और वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) व्यवहार विज्ञान सेक्शन/डोमेन के लिए 1 पद तय किया गया था। शैक्षणिक योग्यताएं नीचे दी गई हैं:

“आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं: (ए) (i) जीव विज्ञान सेक्शन/डोमेन- जन्तु-वज्ञान /वनस्पति विज्ञान/फॉरेंसिक विज्ञान में एम.एस सी./एम. टेक.। (ii) कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन/डोमेन- कंप्यूटर साइंस/आई.टी./इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बी.टेक. या कंप्यूटर साइंस में एम.एस सी. या एम. सी. ए.। (iii) भौतिक विज्ञान सेक्शन/डोमेन- भौतिक विज्ञानी/फॉरेंसिक साइंस/मैथमेटिक्स में एम.एस सी./एम. टेक.। (iv) रसायन विज्ञान सेक्शन/डोमेन- रसायन विज्ञानी/फॉरेंसिक साइंस में एम.एस सी./एम. टेक.। (v) व्यवहार विज्ञान सेक्शन/डोमेन- मनोविज्ञान/फॉरेंसिक मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर या मनोचिकित्सा में एम.डी.। (बी) मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला या संस्थान में संबंधित विषयों में कम से कम तीन साल का विश्लेषणात्मक या अनुसंधान अनुभव।”

5. रिट याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने 30.11.2024 को जीव विज्ञान सेक्शन/डोमेन, कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन/डोमेन, भौतिक विज्ञान सेक्शन/डोमेन, रसायन विज्ञान सेक्शन/डोमेन और व्यवहार विज्ञान सेक्शन/डोमेन में वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) के पद पर भर्ती के लिए आवेदन किया था। आयोग द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उक्त पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम प्रकाशित किया गया था।

6. चौथे प्रतिवादी, परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज ने उक्त पदों के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए रिट याचिकाकर्ताओं के पक्ष में एक अनंतिम एडमिट कार्ड जारी किया। वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा 18.05.2023 को आयोजित की गई थी, जिसमें रिट याचिकाकर्ता शामिल हुए थे और खुद को प्रस्तुत किया।

7. रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के परीक्षा नियंत्रक ने उस स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए उत्तर कुंजी जारी की, जो 18.05.2025 को आयोजित

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



की गई थी और इसके बाद, 20.05.2025 को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें बताया गया कि उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे देखने की आखिरी तारीख 25.05.2025 थी।

8. उस नोटिस में, आयोग ने आवेदकों को यह सुविधा दी थी कि वे आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी का अपने उत्तरों से मिलान कर सकते हैं और, यदि आयोग की उत्तर कुंजी में कोई गड़बड़ी या अंतर पाया जाता है, तो वे संबंधित सबूतों के साथ अपनी आपत्ति 26.05.2025 को या उससे पहले परीक्षा नियंत्रक को सौंप सकते थे।

9. 26.08.2025 को वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) (2023) के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित एक नोटिस प्रकाशित किया गया, जिसमें बताया गया था कि न्यूनतम कट-ऑफ अंक सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40 और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 35 थे।

10. रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, हालांकि उन्होंने स्क्रीनिंग परीक्षा में मिले अपने अंक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिवादी के सामने अपनी बात रखी थी, लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं के अनुसार, 26.08.2025 को एक अधिसूचना जारी किया गया कि जिन अभ्यर्थियों के अंक कट-ऑफ अंक से कम हैं, उनका परिणाम चयन के बाद ही घोषित किया जाएगा।

11. आयोग द्वारा तय की गई चयन प्रक्रिया से पीड़ित होकर - जिसमें सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 40 और अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 35 रखे गए थे, और साथ ही स्क्रीनिंग परीक्षा में संबंधित अभ्यर्थियों को मिले अंक घोषित नहीं किए जाने पर - यह रिट याचिका दायर की गई, जिसमें निम्नलिखित राहतें मांगी गई हैं:

i. परमादेश की प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, 14.06.2023 के विज्ञापन संख्या डी-3/ई-1/2023 और 26.08.2025 के विज्ञापन संख्या 84(3)/01/डी आर/एस2/2023-24 (टी.सी.) के तहत **जीव विज्ञान डोमेन, भौतिक विज्ञान डोमेन, रसायन विज्ञान डोमेन और कंप्यूटर फॉरेंसिक डोमेन** में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के संबंध में कोई और कदम न उठाएं।

ii. परमादेश के प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे 14.06.2023 के विज्ञापन संख्या डी-3/एफ-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



1/2023 के तहत जीव विज्ञान डोमेन, भौतिक विज्ञान डोमेन, रसायन विज्ञान डोमेन और कंप्यूटर फॉरेंसिक डोमेन में वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा का परिणाम घोषित किए बिना, 26.08.2025 के विज्ञापन संख्या 84(3)/01/डी आर/एस2/2023-24 (टी.सी.) के तहत आगे की कार्रवाई न करें।

iii. कोई अन्य आदेश या निर्देश जारी किया जाए जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उचित और सही समझे।

iv. याचिकाकर्ताओं के पक्ष में याचिका का खर्च दिलाया जाए।”

12. इस न्यायालय ने रिट याचिका पर सुनवाई की और 18.12.2025 को एक आदेश पारित किया, जो इस प्रकार है:

“1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ताओं ने वैज्ञानिक अधिकारी (विशेषज्ञ) जीव विज्ञान सेक्शन/डोमेन, भौतिक सेक्शन/डोमेन, रसायन विज्ञान सेक्शन/डोमेन और कंप्यूटर फॉरेंसिक सेक्शन/डोमेन के पद के लिए आवेदन किया था और अंतिम तिथि यानी 14.07.2023 तक अपने आवेदन पत्र जमा कर दिए थे।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वे स्क्रीनिंग परीक्षा में शामिल हुए थे। हालाँकि, परिणाम घोषित किए बिना, 26.08.2025 को एक नोटिस प्रकाशित किया गया, जिसमें कहा गया कि जो लोग स्क्रीनिंग परीक्षा पास करेंगे और न्यूनतम कट-ऑफ अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया और कामकाज का संचालन) नियमावली, 2011 के नियम 33(2) में दिए गए प्रावधानों के आधार पर, आयोग के लिए पहले स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम घोषित करना अनिवार्य है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, अपनाई गई पूरी प्रक्रिया मनमानीपूर्ण लगती है।

4. दूसरी ओर, आयोग की ओर से पेश अधिवक्ता श्री अंसारी का कहना है कि आयोग ने 30.08.2013 को एक निर्णय लिया था, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो अभ्यर्थी न्यूनतम कट-ऑफ अंक (इस मामले में अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



35% और अन्य पिछड़े/सामान्य वर्ग के लिए 40%) प्राप्त नहीं करते हैं, उनके परिणाम अंतिम चयन के बाद ही घोषित किए जाएंगे। हालाँकि जवाबी हलफनामा के पैराग्राफ संख्या 14 में उक्त निर्णय का उल्लेख किया गया था, लेकिन दस्तावेज़ स्वयं अभिलेख पर नहीं है, हालाँकि इसकी एक प्रति न्यायालय को उपलब्ध कराई गई है।

5. श्री अंसारी द्वारा उक्त सर्कुलर को अभिलेख पर लाते हुए एक पूरक जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। साथ ही, इसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता को दी जाए ताकि वे इसका जवाब दे सकें या इसे चुनौती दे सकें।

6. मामले को 13.01.2026 को नए सिरे से पेश किया जाए।”

13. प्रतिवादी संख्या 2, 3 और 4 की ओर से 27.11.2025 को एक जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया है, जिस पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के उप सचिव ने शपथ ली है, और साथ ही 12.01.2026 का एक पूरक जवाबी हलफनामा, जिस पर भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद के उप सचिव ने शपथ ली है।

14. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा अपनाई गई पूरी प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब यह मामला पक्षपात, भाई-भतीजावाद और गैर-कानूनी काम का एक स्पष्ट उदाहरण हो।

15. उनका कहना है कि एक बार जब रिट याचिकाकर्ताओं ने आवेदन पत्र जमा करने और स्क्रीनिंग परीक्षा से गुजरने के बाद चयन प्रक्रिया में भाग ले लिया, तो आयोग की यह कानूनी जिम्मेदारी थी कि वह स्क्रीनिंग में संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा करे और इस काम को योग्य अभ्यर्थियों के चयन के बाद के चरण तक टाला नहीं जा सकता था।

16. आगे यह भी कहा गया है कि चयनित होने के लिए आवेदन करने वाले हर अभ्यर्थी को यह जानने का अधिकार है कि उसे कितने अंक मिले हैं और वह इस बारे में स्पष्ट हो सके, खासकर तब जब इस संबंध में उत्तर कुंजी पहले ही उपलब्ध करा दी गई थी।

17. आगे यह तर्क दिया गया है कि प्रतिवादीगण द्वारा तय किए गए और लागू किए गए मानदंड - जिसमें सामान्य/ अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कट-ऑफ अंक 40 और अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 35 रखे गए हैं - का कोई आधार या तर्क नहीं है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



18. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की दलीलों का जवाब देते हुए, आयोग की ओर से पेश हुए श्री अंसारी ने कहा है कि रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाए गए किसी भी तर्क में कोई दम नहीं है।

19. तर्क यह है कि आयोग ने कार्य संचालन के संबंध में एक निर्णय लिया है, जिसके अनुसार, जिन अभ्यर्थियों ने कट-ऑफ अंक प्राप्त नहीं किए और जिन्हें लिखित परीक्षा के लिए नहीं बुलाया गया है, उनके अंक का खुलासा चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा। वे 30.08.2013 के आयोग के निर्णय का हवाला देते हैं।

20. आगे यह बताया गया है कि 16.02.2026 को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसके अनुसार स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और जो संबंधित अभ्यर्थी अपने अंक जानना चाहते हैं, वे ओटीआर और संबंधित विवरण भरकर अपने अंक प्राप्त कर सकते हैं।

21. आगे यह तर्क दिया गया है कि रिट याचिकाकर्ताओं को अपने अनुसार कट-ऑफ अंक तय करने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, खासकर तब जब आयोग के 06.02.1995 और 25.07.2019 के निर्णय मौजूद हों, जिनमें सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 40% और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 35% कट-ऑफ अंक का प्रावधान है। वे इस न्यायालय की खंडपीठ के **विशेष अपील संख्या 142/2019, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग बनाम संगीता और 81 अन्य**, निर्णीत 05.03.2019, के फैसले का भी हवाला देते हैं, जिसमें आयोग के निर्णय के अनुसार कट-ऑफ अंक तय करने के फैसले को सही ठहराया गया था।

22. मैंने बार के समक्ष प्रस्तुत दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का ध्यान से अवलोकन किया है। यह बात विवाद का विषय नहीं है कि अलग-अलग विषयों में वैज्ञानिक अधिकारी के पद के लिए एक विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। सभी पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं ने उस विज्ञापन के आधार पर आवेदन किया था और चयन, स्क्रीनिंग और लिखित परीक्षा आदि के मानदंडों को पूरा किया था। रिट याचिकाकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने उक्त भर्ती के लिए आवेदन किया था।

23. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि, पहला, स्क्रीनिंग परीक्षा में उन्हें मिले अंकों का खुलासा नहीं किया गया है और, दूसरी बात, कट-ऑफ अंक तय करते समय अपनाए गए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”

मानदंड मनमाने और बिना किसी आधार के हैं। इस तर्क की जांच करने के लिए, नियमों की लागू होने की स्थिति महत्वपूर्ण होगी। 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया का विनियमन तथा कार्य संचालन) नियमावली, 2011' नाम का एक नियम मौजूद है। नियम 33(ii) और 33(iii) इस प्रकार हैं:

33.....

(ii). प्रारंभिक परीक्षा का अर्थ है आयोग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार, जैसा भी मामला हो, में प्रवेश के लिए प्रत्येक श्रेणी, आरक्षित और अनारक्षित, में आयोग द्वारा तय अनुपात में उपयुक्त अभ्यर्थियों को खोजना है;

(iii). प्रारंभिक परीक्षा 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा नियमावली, 1986', समय-समय पर संशोधित, में निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम योग्य सूची तय करने के लिए नहीं गिना जाएगा।

24. उक्त नियमों को देखने से पता चलता है कि प्रारंभिक परीक्षा का अर्थ है आयोग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा, जिसका उद्देश्य मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार, जैसा भी मामला हो, में प्रवेश के लिए आयोग द्वारा तय अनुपात में उपयुक्त अभ्यर्थियों को खोजना है, और साथ ही, प्रारंभिक परीक्षा 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा नियमावली, 1986' में निर्धारित तरीके से आयोजित की जाएगी और प्रारंभिक परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों को अंतिम योग्य सूची तय करने के लिए नहीं गिना जाएगा। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि स्क्रीनिंग परीक्षा का प्रावधान नियमों के तहत ही किया गया है।

25. असल में, रिट याचिकाकर्ताओं को स्क्रीनिंग परीक्षा कराने पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन, एतराज़ दो तरह का है, पहला यह कि स्क्रीनिंग परीक्षा के परिणाम बताए जाने चाहिए थे, भले ही अभ्यर्थी को कट-ऑफ अंक से कम अंक मिले हों या नहीं, और दूसरा, परिणाम की घोषणा को अंतिम परिणाम प्रकाशित होने तक टाला नहीं जा सकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान मामले में, आयोग का दिनांक 30.08.2013 का एक निर्णय है, जो इस प्रकार है:

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"माननीय आयोग की साधारण बैठक दिनांक 30/08/2013 में निम्न निर्णय लिया गया-

पत्रावली संख्या-01/डीआर/एस-3/2012-13 टीसी-1 में प्रस्तुत इतिवृत्त में वर्णित तथ्यों के आधार पर निर्णय लिया गया कि मा० आयोग के निर्णय दिनांक 31.12.2012 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय कि पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 8 गुना अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक वेबसाइट पर/ विज्ञप्ति के साथ जारी करते हुए आवेदन पत्र/शैक्षिक अभिलेख की माँग 21 दिन के अन्दर की जाय तथा 8 गुना के अंतर्गत न आने वाले अभ्यर्थियों को यह अवगत करा दिया जाय कि समस्त अभ्यर्थियों के स्क्रीनिंग परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के बाद दिये जा सकेंगे।"

26. ऊपर दिए गए फैसले में यह कहा गया है कि जो अभ्यर्थियों ने स्क्रीनिंग परीक्षा में कट-ऑफ अंक नहीं लाए हैं, उनके परिणाम अंतिम परिणाम के साथ घोषित किए जाएंगे। 30.08.2013 का फैसला एक पूरक जवाबी हलफनामा के साथ दाखिल किया गया है, लेकिन इस पर सवाल नहीं उठाया गया है। इस फैसले को लेकर कोई चुनौती न होने पर, यह न्यायालय रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता की इस दलील को मानने के लिए मजबूर नहीं है कि यह फैसला गैर-कानूनी है।

27. जहां तक दूसरी आपत्ति का सवाल है, सामान्य/अन्य पिछड़े वर्ग के लिए इस तरह बनाए गए और तय किए गए कट-ऑफ अंक 40 और अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए 35 के बारे में, आयोग का 06.02.1995 का एक फैसला है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

"मामात्य तथा अनुसूचित जातीय अभ्यर्थियों के निम्न स्तर निर्धारित करने के सम्बन्ध में आयोग के आदेश :-

फाइल संख्या

281/47-48 पर चर्चा डीईओ. 85 में चर्चित। आयोग सरकार की इस बात से सहमत था कि अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से दक्षता का एक न्यूनतम मानदंड मांगा जाना चाहिए, जो न्यूनतम मानदंड सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से अलग नहीं होना चाहिए। इसलिए, आयोग ने भविष्य की भर्ती के लिए इस सिद्धांत को अपनाने का

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



फैसला किया। आयोग ने यह भी फैसला किया कि अलग-अलग पद के लिए न्यूनतम मानदंड अलग-अलग हो सकती है और आम तौर पर पद के लिए यह साक्षात्कार और लिखित पेपर में मिले कुल अंक के 40% से कम नहीं होनी चाहिए।

हस्ताक्षरित राम धर

24.12.1966

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या-449/65/मिस/एस-10/81-82

दिनांक: इलाहाबाद: 06 फरवरी, 1995”

28. उपरोक्त तथ्य के संबंध में आयोग का दिनांक 25.07.2019 का एक निर्णय भी है, जिसे नीचे उद्धृत किया गया है:

“मा0 आयोग की असाधारण बैठक दि0-25/07/2019 में लिए गए निर्णय: -

पत्रावली सं0-65/मिस/एस-10/81-82 (टी.सी) में पृष्ठ सं0 31 पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचार किया गया। मा0 आयोग के पूर्व निर्णय दिनांक 05 फरवरी, 2011 को अवक्रमित करते हुए यह निर्णय लिया गया कि इसके पश्चात जारी होने वाले आयोगों के सम्बन्ध में आयोग के समस्त चयनो (लिखित परीक्षा स्क्रीनिंग एवं साक्षात्कार के माध्यम से) में दक्षता प्राप्तांक न्यूनतम 3 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित किया जाता है।

ह0 प्रेम कुमार सिंह

सदस्य

ह0 आलोक प्रसाद

सदस्य

ह0 सुशीला सिंह

सदस्य

ह0 दिनेश चंद्र सिंह

सदस्य

ह0 डा0 राम जी मौर्य

सदस्य

ह0 डा0 जयराम प्रसाद वैद्य

सदस्य

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ह0 डा0 प्रभात कुमार

अध्यक्ष

कृपया सम्मिलित के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही करके अवगत कराएं ।

हस्ताक्षरित/-

(जगदीश)

सचिव

25.07.2019

28. इसके अलावा, स्क्रीनिंग के स्तर पर कट-ऑफ अंक तय करने के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में, आयोग के इस कदम पर **संगीता (उपरोक्त)** मामले में विशेष अपीलीय पीठ के फैसले में कोई सवाल नहीं उठाया गया था, जिसमें यह कहा गया था:

“52. अगर यह पैमाना नहीं अपनाया जाता, तो अपील करने वाले आयोग के लिए किसी भी योग्य अभ्यर्थी को 'नियुक्ति के लिए उपयुक्त' के तौर पर निष्पक्ष, पारदर्शी और/या सही तरीके से सिफारिश करना शायद मुमकिन नहीं होता। साथ ही, गुण-दोष को ध्यान में रखते हुए - और वह भी कुल अंक के 40% और 30% के कम से कम स्तर पर - अपील करने वाले आयोग ने शिक्षा में आम तौर पर माने जाने वाले न्यूनतम पास प्रतिशत के नियम को लागू किया। विद्यालय और उच्चतर शिक्षा के किसी भी स्तर का कोई भी विद्यार्थी ऐसे नियम और आचरण के बारे में जानता होगा। किसी भी हाल में, याचिकाकर्ता-प्रतिवादियों का यह कहना नहीं है कि अपनाया गया तरीका किसी भी तरह से मनमाना या बेतुका था, जिससे काबिल अभ्यर्थी बाहर हो जाते। इसलिए, इस मामले में यह मुद्दा नहीं उठता।

53. हमारी यह भी राय है कि नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों में से सिफारिश करने के लिए अपील करने वाले आयोग द्वारा अपनाए गए निष्पक्ष पैमाने के बारे में सभी संबंधित लोगों को बताने और जानकारी देने के लिए वह अधिसूचना ज़रूरी था। अपील करने वाले आयोग के ऐसे निष्पक्ष व्यवहार पर न तो कोई शक किया गया और न ही

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



इसे उसके द्वारा अपनी मर्जी से लागू की गई नई योग्यता शर्त या बेतुकी शर्त माना जा सकता है।

54. नतीजतन, यह इंटर-न्यायालय अपील सफल होती है और इसे मंजूरी दी जाती है। इस विशेष अपील को उत्पन्न करने वाली रिट याचिका को तदानुसार खारिज किया जाता है। खर्च के बारे में कोई आदेश नहीं।”

29. इस न्यायालय की राय में, चूंकि आयोग के उन फैसलों को चुनौती नहीं दी गई है जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए कट-ऑफ अंक तय करना, स्क्रीनिंग परीक्षा में कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों के अंक न बताना और अंतिम चयन के समय उन्हें अलग-अलग करना शामिल है, इसलिए यह न्यायालय इस मुद्दे पर आगे विचार करना उचित नहीं समझता। इसके अलावा, आयोग के उप सचिव द्वारा 16.02.2026 को एक प्रेस संचार जारी किया गया है जो इस प्रकार है:

लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

संख्या-01/84(1)/डी0आर0/एस-2/2023-24

प्रयागराज: दिनांक: 16 फरवरी, 2026

प्रेस विज्ञप्ति

सीधी भर्ती से संबंधित विज्ञापनों के अंतर्गत विज्ञापित पद जिनका विवरण निम्नवत है।

क्रम संख्या	विज्ञापन संख्या	विभाग का नाम	पद	विभाग संख्या
1	डी-3/ई-1/2023	उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक अधिकारी (जीव विज्ञान अनुभाग/डोमेन, [एस-01/01]		
2	डी-3/ई-1/2023	उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक अधिकारी (कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग/डोमेन, [एस-01/02]		
3	डी-3/ई-1/2023	उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक अधिकारी (भौतिक विज्ञान अनुभाग/डोमेन, [एस-01/03]		
4	डी-3/ई-	उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक अधिकारी		

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



	1/2023	(रसायन विज्ञान अनुभाग/डोमेन, [एस-01/04])
5	डी-3/ई- 1/2023	उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाएँ, वैज्ञानिक अधिकारी (व्यवहार विज्ञान अनुभाग/डोमेन, [एस-01/05])

उक्त पदों हेतु आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा एवं साक्षात्कार में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट-ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट <https://uppsc.up.nic.in> पर दिनांक 16.02.2026 से 23.02.2026 तक उपलब्ध रहेंगे। अतः अभ्यर्थीगण अपने ओ॰टी॰आर॰ एवं जन्मतिथि के आधार पर प्राप्तांक एवं कट-ऑफ अंक अवलोकित/प्राप्त कर सकते हैं। इस संबंध में यह भी सूचित किया जाता है कि उक्त सीधी भर्तियों के परिणाम के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे और न ही उन पर विचार किया जायेगा।

(कमलेश चन्द्र)

उप सचिव।

30. उक्त प्रेस संचार के मद्देनजर, अब रिट याचिकाकर्ताओं के लिए उनके द्वारा प्राप्त कट-ऑफ अंकों के बारे में जानना हमेशा खुला है। चूंकि, पूरी याचिका में अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहां तक कि दूर-दूर तक भी यह सुझाव नहीं दिया गया है कि प्रतिवादियों की कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन है और आयोग अपनी अधिसूचनाओं के अनुसार परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, जिसे चुनौती भी नहीं दी गई है, इसलिए यह न्यायालय वर्तमान मामले को हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानता है। इसलिए, हस्तक्षेप करने से इनकार किया जाता है। याचिका निस्तारित की जाती है, और रिट याचिकाकर्ताओं के लिए अंतिम चयन में उचित उपाय करने का विकल्प खुला रखा जाता है।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

19 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”